

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

सन्दर्भसं०: इ०रा०वि०वि/उ.कु.स.का./७५६/२०१८

दिनांक : ५/०५/२०१८

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अनवरत तीन वर्ष या उससे अधिक जिन शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य किया गया है, उन्हें सत्र २०१७-१८ की परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रायोगिकी/मौखिकी में आन्तरिक परीक्षक इस शर्त के साथ बनाया जायेगा कि सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया हो।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आया है, कि उक्त श्रेणी के कतिपय शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण करने में अड़चन हो रही है। उक्त के दृष्टिगत आदेशानुसार जिन शिक्षकों/परीक्षकों द्वारा सत्र २०१७-१८ की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सहयोग नहीं किया गया है या नहीं किया जा रहा है उन्हें आन्तरिक परीक्षक नहीं बनाया जायेगा।

मूल्यांकन कार्य किये जाने की सूचना सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

डॉ०(साहबलाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्राचार्य/प्राचार्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को समस्त महाविद्यालय के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. वैय० सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

(राजबहादुर)
उपकुलसचिव (परीक्षा)